

प्रस्ताव की राज्य क्र0सं0-

भाग - II

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)
(सम्बन्धित प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या)

क्र0सं0	प्रस्ताव	
7	परियोजना / स्कीम का स्थान	जनपद—मीरजापुर में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) द्वारा प्रस्तावित 132 के.वी. मिर्जापुर—जिगना द्वितीय लीलो परिपथ के निर्माण से प्रभावित ग्राम—राजापुर, तहसील—लालगंज के आराजी संख्या १मि० में से क्षेत्रफल 0.2322 है। आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii)	जिला	मीरजापुर
(iii)	वन प्रभाग	मीरजापुर वन प्रभाग
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टॉ में)	0.2322 हेक्टॉ (आरक्षित वन भूमि)
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि (स्वामित्व वन विभाग)
(vi)	हरियाली का घनत्व	1 (इको क्लास—iii)
(vii)	प्रजातिवार (विज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिणाम (संलग्न की जाय) सिचाईं / जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक आर० एल०, एफ०आर०एल०—२ मीटर पर परिणाम और एफ०आर०एल०—५ मीटर भी संलग्न किया जाय।	संलग्न है।
(viii)	भू—क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता	यह भू—भाग, भू—क्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन सीमा के भीतर
(x)	क्या फार्म, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अम्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व वाध रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हैं, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाय)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुलभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं यदि हैं तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हैं तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं।

8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ?	प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य एवं न्यूनतम हैं।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हों/नहीं) यदि हों तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	अधिनियम के उल्लंघन में प्रस्तावक विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवनत वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	लालगंज रेज अन्तर्गत अमोई बीट के अमोई क0नो 4 में 0.50 हेक्टर अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमिक वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं का दर्शाता भैंप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	रोपित की जाने वाली मुख्य प्रजातियां- इमली, नीम, आम, जामुन, केसिया सेमिया।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	रु0 68,564.00
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निशेषण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 के पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	452200.00 हेक्टर
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	104405.00 हेक्टर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र प्रभाग	47 मामले, 480.0759 हेक्टर

(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि । (ख) वनेत्तर भूमि पर ।	498.2075 हें0 308.1615 हें0 190.046 हें0
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेत्तर भूमि पर	366.300 हें0 176.254 हें0 190.046 हें0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव में उल्लिखित भूमि की मांग न्यूनतम है लीलो परिपथ (ट्रांसमिशन लाइन) के निर्माण से वन एवं वन्य जीवों के समर्थन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

दिनांक : १५.०३.२०१९

स्थान : मिरजापुर

(५)

(राकेश चौधरी)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर
 प्रभागीय वनाधिकारी 
 मीरजापुर - वन प्रभाग
 मीरजापुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
 मीरजापुर एवं घुनार।


 श्रीमीय वनाधिकारी
 लगांज रेज